उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं0- **140** – विनियम / काविनी / पाकालि / 14-12 विनियम / 89   दिनांक 28 नवम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सरकार, कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–18/2/81–का–2/2012 दिनांक 06 जून, 2012, जिसके द्वारा उ0प्र0 सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवाँ संशोधन) नियमावली–2012 प्रख्यापित कर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर कुछ प्रतिबन्धों सहित 40 वर्ष की गयी है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों में भर्ती हेतु उसके प्रतिबन्धों सहित अंगीकृत करते हुए इस सम्बन्ध में पूर्व जारी एवं वर्तमान में प्रभावी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 99–विनियम/पाकालि/07–12–विनियम/89 दिनांक 13.08.2007 को आंशिकरूप से निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान (कारपोरेशन के आदेश सं0 99–विनियम/पाकालि/07-12–विनियम/89 दिनांक 13.08.2007)	**संशोधित प्राविधान**
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विनियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में, जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विनियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में, जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। परन्तु जहाँ इन आदेशों के निर्गमन से पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, वहाँ अधिकतम आयु सीमा पूर्व की भाँति ही यथावत् रहेगी।

2. उपरोक्त का अनुमोदन विद्युत वितरण कम्पनियों के निदेशक मण्डल द्वारा भी किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

3. उपरोक्त आदेश इनके निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः **140** (I) विनियम / काविनी / पाकालि / 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः..........2)

Computer-4191 Vinimay (Letters)-26

3. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशकगण, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, आगरा एवं कानपुर।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (ज0वि0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अपर सचिव(प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक(लेखा प्रशासन)/महाप्रबन्धक(औ0सं0)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके सन्दर्भ सं0 702/पाकालि/बैठक/110/2014 दिनांक 26.11.2014 के सन्दर्भ में।
12. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय), शक्ति भवन, लखनऊ के समस्त अधिकारीगण।
13. अधिशासी अभियन्ता(वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

28.11.2014

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव (विनियम)